न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :-श्रीमती शकुंतला आर.ए.एस.

मि0न0 – 169/2022

अनवान : –

1. दयाराम पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी महराना भादरा।

वादी

बनाम

1. भूपसिंह दत्तक पुत्र मामचन्द जाति जाट निवासी गांव महराना तहसील भादरा।
2. विजयपाल पुत्र भूपसिंह जाति जाट नि0 महराना।
3. ममता पुत्री भूपसिंह जाति जाट निवासी गांव महराना तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व तहसील भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री पवन सिहाग वादी
श्री रामचन्द्र बैनीवाल प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक: 29.08.22

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 8 एम आर एन के खाता संख्या 54/60 के मु0 न0 48 के किला नं0 6/1, 6/2, 7, 8, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 24, 25/1, 25/2 की कुल 2.227 है0 खातेदारी प्रतिवादी सं0 01 भूपसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रिति–रिवाज से शासित है। वाद भूमि पहले वादी के दादा मामचन्द की खातेदारी हुआ करती थी। प्रवितादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली । वाद भूमि में वादी तथा प्रवितादी सं0 1 ता 3 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। अतः वादी अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। यह ही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया। प्रतिवादी सं0 4 को वकील वादी ने तर्क अंकित किया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

साक्ष्य वादी में वादी दयाराम पुत्र भूपसिंह के द्वारा साक्ष्य करवाये गये। जिसमें वर्तमान जमाबंदी के साथ साथ पैतृक जमाबंदी व वारिसान प्रमाण पत्र तस्दीक करवाये गये।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया कि मुताबिक राजीनामा वाद वादी डीक्री किया जावें जिस पर वकील प्रतिवादी ने सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा चक 8 एम आर एन के खाता संख्या 54/60 के मु0 न0 48 के किला नं0 6/1, 6/2, 7, 8, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 24, 25/1, 25/2 की कुल 2.227 है0 खातेदारी प्रतिवादी सं0 01 भूपसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जो प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है। जिसमें प्रतिवादी सं0 1 के साथ वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 भूपसिंह के नाम वाद भूमि के अलावा अन्य भूमि होने के कारण तथा प्रतिवादी सं0 3 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 के हक में त्याग कर शून्य कर लिया है। अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डीक्री योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 8 एम आर एन के खाता संख्या 54/60 के मु0 न0 48 के किला नं0 6/1, 6/2, 7, 8, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 24, 25/1, 25/2 की कुल 2.227 है0 खातेदारी प्रतिवादी सं0 01 भूपसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में प्रतिवादी सं0 01 भूपसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी दयाराम तथा प्रतिवादी सं0 02 विजयपाल को बहिस्सा बराबर के खोतदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29.08.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुंतला चौधरी)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस

मि0न0 – 169/2022

अनवान : –

1. दयाराम पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी महराना भादरा।

वादी

बनाम

1. भूपसिंह दत्तक पुत्र मामचन्द जाति जाट निवासी गांव महराना तहसील भादरा।
2. विजयपाल पुत्र भूपसिंह जाति जाट नि0 महराना।
3. ममता पुत्री भूपसिंह जाति जाट निवासी गांव महराना तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व तहसील भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री पवन सिहाग व वकील प्रतिवादीगण श्री रामचन्द्र बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 8 एम आर एन के खाता संख्या 54/60 के मु0 न0 48 के किला नं0 6/1, 6/2, 7, 8, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 24, 25/1, 25/2 की कुल 2.227 है0 खातेदारी प्रतिवादी सं0 01 भूपसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में प्रतिवादी सं0 01 भूपसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी दयाराम तथा प्रतिवादी सं0 02 विजयपाल को बहिस्सा बराबर के खोतदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 29.08.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुंतला चौधरी)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़